संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक 3025 /टीसी/30/विदिशा-सिरोंज/उपां/नग्रानि/2025 भोपाल,दिनांक:- 4 /09/2025

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
भोपाल।

विषय:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) के अधीन सिरोंज विकास योजना, 2031 में वाणिज्यिक के अन्तर्गत मण्डी में उपांतरण बाबत - ग्राम मलसीपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. कुल भूमि रकबा 17.527 हेक्टेयर में से रकबा 17.500 हेक्टेयर (आवेदक - कलेक्टर जिला विदिशा म.प्र.)।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने सिरोंज विकास योजना, 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अतः संलग्न सूचना, विदिशा नगर में प्रचलित ऐसे **एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा विदिशा नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदानुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियॉ इस संचालनालय को उपलब्ध का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक /टीसी/30/विदिशा-सिरोंज/उपां/नग्रानि/2025 भोपाल,दिनांक:- /09/2025

प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2 कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ।

3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा की ओर लेख है कि उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियां एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपति/सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:04 /09/2025

क्रमांक 3025 /टीसी/30/विदिशा-सिरोंज/उपां/नग्रानि/2025 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **सिरोंज** विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम मलसीपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा विदिशा (म.प्र.)	106	1.455	1.455	कृषि एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग (60.0 मीटर चौड़ा)	वाणिज्यिक के अन्तर्गत मण्डी, वर्तमान बायपास मार्ग (प्रस्तावित चौड़ाई 60.0 मीटर) एंव प्रस्तावित बायपास मार्ग (60.0 मीटर चौडा)
2		107/1	2.000	2.000	कृषि, प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग (60.0 मीटर चौड़ा)	
3		107/2	0.529	0.502	कृषि	
4		108/3	7.422	7.422	कृषि	
5		108/4	0.937	0.937	कृषि एवं वर्तमान बायपास मार्ग (प्रस्तावित चौड़ाई 60.0 मीटर)	
6		116	0.063	0.063	कृषि	
7		117/1	2.023	2.023	कृषि	
8		138	1.517	1.517	कृषि एवं वर्तमान बायपास मार्ग (प्रस्तावित चौड़ाई 60.0 मीटर)	

9		155	0.316	0.316	कृषि	
10		156	0.759	0.759	कृषि	
11		157	0.063	0.063	कृषि	
12		158	0.443	0.443	कृषि, प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग (60.0 मीटर चौड़ा)	
	कुल रकबा		**17.527**	**17.500**		

शर्त :-

1. आवेदित भूमि में से सिरोंज विकास योजना 2031 का प्रस्तावित बायपास मार्ग 60.0 मीटर गुजरता है। अत: प्रस्तावित बायपास मार्ग की भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

2. आवेदित भूमि में से 15.0 मीटर चौडा वर्तमान बायपास मार्ग गुजरता है। जिसकी नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित चौडाई 60.0 मीटर रखना आवश्यक होगा अत: मार्ग के मध्य से दोनों ओर 30.00- 30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।

3. ग्राम मलसीपुर के खसरा क्रमांक 107/2 पर शासकीय स्कूल निर्मित है। भोपाल-सिरोंज मार्ग से शासकीय स्कूल पर पहुंच मार्ग आवेदित भूमि के खसरा क्रमांक 107/1 में से वर्तमान में 5.0 मीटर चौडा सीमेंट कंक्रीट/ पथरीला मार्ग गुजरता है अत: इस वर्तमान मार्ग की नियोजन की दृष्टि से शासकीय स्कूल पर आमागमन हेतु इसकी प्रस्तावित चौडाई 12.0 मीटर रखना आवश्यक होगा एवं शासकीय स्कूल पर आवागमन हेतु परिसर में 12.00 मीटर भूमि सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा।

4. सिरोंज विकास योजना, 2031 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, **2012** के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

6. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा तथा संचालनालय की वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियों या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल